उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, जिला– नैनीताल

संख्याः 141/ 03/X/2025 **दिनांकः 17.02.2025**

वित्तीय वर्ष 2025–2026 में अकादमी मैस में खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु पंजीकरण आमंत्रण सूचना।

वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिये उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल की मैस, हेतु खाद्य सामग्री की आपूर्ति किये जाने के लिए आपूर्तिकर्ता फर्मो, थोक विक्रेताओं, सप्लायर फर्मों से मुहरबन्द पंजीकरण आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पंजीकरण फार्म, नियम एवं शर्तें दिनांक 17.02.2025 को अपराहन 4:00 बजे से अकादमी की वेबसाइट *www.ujala.uk.gov.in* से डाउनलोड कर प्रिंट की जा सकती हैं। प्रपत्र में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार पूर्ण रूप से भरे पंजीकरण आवेदन अकादमी में जमा करने की अन्तिम तिथि 04.03.2025 अपराहन 12:00 बजे है।

अध्यक्ष– क्रय समिति
उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
भवाली, नैनीताल।

REGISTERATION OF SUPPLIERS FOR FOR SUPPLY OF FOOD INGREDIENTS IN ACADEMY MESS YEAR 2025-2026

Important Dates & Details

Sl. No.	Details	Date/Time
1.	Availability of Registration Form : Date & Time	17.02.2025 4:01 PM
2.	Last Date & Time for Submission	04.03.2025 12:01 PM
3.	Date & Time of Opening of Registration Form	04.03.2025 01:00 PM
4.	Venue of Opening of Registration Form	Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Ghorakhal Road, Bhowali, District- Nainital
5.	Registration Form Fee (Non-refundable)	₹ 1,770 (including GST)
6.	Deposit Money (Refundable)	₹ 30,000/-
7.	Contact Details	Director, Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali, Nainital- 263132 Ph- 05942-221374, 221375

Registration form for supply of food items and ingredients and rules and regulation can be downloaded and printed from the website of the Academy www.ujala.uk.gov.in .

नियम एवं शर्ते

1. अकादमी मैस में खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु पंजीकरण की अवधि वित्तीय वर्ष 2025–2026 में 31 मार्च 2026 तक के लिए मान्य है।

2. अकादमी मैस में खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु आवश्यक नियम तथा आवेदन पत्र अकादमी की वेब साईट *www.ujala.uk.gov.in* से डाउनलोड एवं (A4) ए–4 साइज कागज पर प्रिंट किया जा सकता है।

3. पूर्ण रूप से भरे हुए पंजीकरण आवेदन के साथ पंजीकरण शुल्क के रूप में ''निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी'' के नाम जारी किया तथा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा, नैनीताल पर देय मूल्य जी.एस.टी. सहित ₹ 1,770 (रुपये एक हजार सात सौ सतहत्तर मात्र) बैंक ड्राफ्ट लगाया जाना होगा। इसके अतिरिक्त **''निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी'' के नाम जारी ₹30,000 (रूपये तीस हजार) की धरोहर राशि को भी राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ0डी0आर0** के रूप में आवेदन के साथ संलग्न कर अकादमी कार्यालय में दिनांक 04.03.2025 तक जमा किया जाना होगा, जिसकी वैद्यता न्यूनतम दिनांक 15.05.2026 तक होनी अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि संलग्न न होने की स्थिति में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. अकादमी द्वारा मैस की आवश्यकतानुसार जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री की सूची तैयार की गयी है, जिसमें अकादमी द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

5. आपूर्तिकर्ता फर्म का अपना **पेन, आयकर प्रमाण–पत्र (आई.टी.आर. acknowledgement), एवं** वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) सम्बन्धी पंजीकरण हो। उक्त के संबंध में समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

6. खाद्य सामग्री की दरों में निरन्तर उतार–चढ़ाव होने के कारण अकादमी द्वारा पंजीकृत आपूर्तिकर्ता फर्मो से, अकादमी मैस की आवश्यकतानुसार जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री यथा दूध, दही, घी, सब्जी, फल, पनीर इत्यादि के लिए प्रत्येक 03 माह के उपरान्त सीमित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। सीमित निविदा प्रक्रिया की समयावधि में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। सामग्री की सूची केवल आवेदनकर्ता के सूचनार्थ हैं, दरें पंजीकरण होने के उपरान्त अकादमी द्वारा सूचना निर्गत किये जाने के उपरान्त दी जानी होंगी।

7. अकादमी द्वारा वांछित खाद्य सामग्री की दरें सभी टैक्सों/सेवाओं की धनराशि को सम्मिलित करते हुए प्रेषित की जाय। खाद्य सामग्री की दरें बाजार में प्रचलित बाजार भाव से अधिक नहीं होनी चाहिये।

8. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आदर्श स्थिति में, अकादमी द्वारा निर्गत कार्यादेश प्राप्त किये जाने के उपरान्त 08 घंटे के भीतर वांछित खाद्य सामग्री की आपूर्ति अकादमी में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यद्यपि, अपरिहार्य आपात स्थितियों में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सामग्री की आपूर्ति अकादमी मैस में 03 घंटे के भीतर की जायेगी।

9. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सुनिश्चित की जायेगी, तथा अकादमी सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण सक्षम पूर्ति अधिकारी/खाद्य निरीक्षक से कराये जाने के लिए स्वतन्त्र होगी तथा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता मे किसी प्रकार की कमी होने पर फर्म द्वारा अकादमी के पक्ष में जमा धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

10. आपूर्तिकर्ता फर्म को खाद्य सामग्री की आपूर्ति अकादमी मैस तक किये जाने हेतु कोई अतिरिक्त शूल्क/भाड़े का भुगतान अकादमी द्वारा नहीं किया जायेगा तथा आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सामग्री की आपूर्ति अपने व्यय पर अकादमी में की जायेगी। आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सामान की आपूर्ति के दौरान सामग्री को सावधानीपूर्वक अकादमी मैस में उतारना सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी सामग्री की टूट–फूट,खराब होने अथवा अकादमी को हुये नुकसान की भरपाई आपूर्तिकर्ता फर्म से की जायेगी।

11. आपूर्तिकर्ता फर्म को आदर्श स्थिति में वांछित खाद्य सामग्री की आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान बिल प्राप्त होने के उपरान्त मासिक आधार पर किया जायेगा यद्यपि अपरिहार्य कारणों से भुगतान में विलम्ब हो सकता हैं। आपूर्तिकर्ता फर्म सुनिश्चित कर लें कि यदि अपरिहार्य कारणवश अकादमी स्तर से भुगतान में विलम्ब होता है, उस स्थिति में अकादमी को खाद्य सामग्री की आपूर्ति किये जाने का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए।

12. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा अकादमी को वांछित खाद्य सामग्री की आपूर्ति समय पर न किये जाने अथवा असंतोषजनक होने पर संस्थान को किसी प्रकार की हानि होने पर जमानत राशि जब्त अथवा विनियोजित कर ली जायेगी।

13. पंजीकरण अवधि समाप्त होने के उपरान्त उक्त धरोहर राशि संबंधित फर्म को वापस कर दी जायेगी। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अनुसार उक्त धरोहर राशि, कार्यपूर्ति गांरटी, प्रतिभूति निक्षेप, कार्यपूर्ति प्रतिभूति इत्यादि, यथास्थिति की राशि का अभिकलन अकादमी के द्वारा किया जायेगा और इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्राविधान अनुसार राशि अभिकलित करने का अकादमी का निर्णय अंतिम होगा।

14. अकादमी द्वारा पंजीकृत प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने के उपरान्त वांछित खाद्य सामग्री की आपूर्ति के संबध में उपरोक्त शर्तो के अनुसार किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अकादमी की आवश्यकता के अनुसार सेवाएं नहीं दिये जाने पर फर्म को कार्य से हटा दिया जायेगा तथा प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी और कार्य का अवसर दोबारा नहीं दिया जायेगा।

15. किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता बरतने पर पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अकादमी द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति का होगा।

16. उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के द्वारा पंजीकृत आपूर्तिकर्ता उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियमों के अर्न्तगत आमंत्रित की जा रही है। किसी भी विसंगति अथवा असंगति की स्थिति में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के समस्त प्राविधान व सिद्धान्त अंतिम रूप से प्रभावी होगें।

17. पंजीकृत आपूर्तिकर्ता फर्म यदि पंजीकरण की शर्तो का अनुपालन करने अथवा सामग्री की समय से आपूर्ति करने में असफल रहती है अथवा निर्धारित मानक से निम्नतर प्रकार की सामग्री की आपूर्ति करती है अथवा कोई गलत घोषणा/तथ्य प्रस्तुत करती है तो उसे आपूर्तिकर्ता की अनुमोदित सूची से हटा दिया जायेगा।

18. आपूर्तिकर्ता फर्मो का पंजीकरण प्रथम बार 01 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा, जिसे पंजीकृत आपूर्तिकर्ता फर्मों के कार्यों, आचरण, सेवाओं इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुये, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में विहित प्राविधानों के अधीन अधिकतम 02 वर्षों के लिये अकादमी द्वारा बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

19. अकादमी मैस के संचालन में प्रयुक्त होने वाली संभावित नमूना खाद्य सामग्री की सूची प्रपत्रों के साथ संलग्न है, जिसमे अकादमी की आवश्यकतानुसार समय–समय पर परिर्वतन किया जा सकता है।

20. एम.एस.एम.ई. में पंजीकरण शुल्क, धरोहर राशि तथा कार्य अनुभव में पूर्ण छूट के दावे हेतु फर्म को भारत/प्रदेश सरकार के विभाग से उद्योग आधार (उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र) प्राप्त करना होगा तथा क्रय वरीयता नीति–2019 के अन्तर्गत उद्योग विभाग में पंजीकरण कराया जाना होगा।

21. किसी विवाद की स्थिति में अकादमी के निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम होगा ।

....

पंजीकरण पत्र

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली, नैनीताल

खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु पंजीकरण प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2025–2026

1. फर्म का नाम..

2. फर्म के स्वामी का नामः...

3. फर्म का पता...

....

4. दूरभाष/मोबाईल संख्या एवं e-mail ....

5. फर्म का आयकर पेन (PAN) संख्या...

6. जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या (अनिवार्य)..

7. पंजीकरण

   (क) जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री हेतु...

8. पंजीकरण शुल्क का विवरण–

   (अ) राष्ट्रीकृत बैंक का नाम...

   (ब) बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक...

   (स) धनराशि..

9. धरोहर धनराशि का विवरण–

   (अ) राष्ट्रीकृत बैंक का नाम...

   ....

   (ब) एफ0डी0आर0 संख्या एवं दिनांक...

   ....

   (स) धनराशि..

10. नियम एवं शर्तो में उल्लिखित वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जाए।

11. राजकीय अधिष्ठानों/विभागों व अन्य संस्थाओं, निगमों इत्यादि स्थलों में खाद्य सामग्री की आपूर्ति कार्य अनुभव का विवरण यदि कोई हो तो–

....

....

12. अन्य प्रमाण पत्र (यदि कोई हों) ....

....

....

.पंजीकरण आवेदन के साथ संलग्न सभी नियम एवं शर्ते मुझे मान्य है। किसी विवाद की स्थिति में अकादमी के निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम होगा जो मुझे मान्य होगा।

फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर दिनांक सहित एवं मुहर

जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री की सूची /नमूना संभावित सूची

क्रम संख्या	सब्जियां	मात्रा	दरें रूपये में
1	आलू	प्रति कि.ग्रा.	
2	प्याज	प्रति कि.ग्रा.	
3	टमाटर	प्रति कि.ग्रा.	
4	लौकी	प्रति कि.ग्रा.	
5	बैगन	प्रति कि.ग्रा.	
6	कददू	प्रति कि.ग्रा.	
7	भिन्ड़ी	प्रति कि.ग्रा.	
8	मटर फली	प्रति कि.ग्रा.	
9	फ्रोजन मटर	प्रति कि.ग्रा.	
10	सेम **(Bean)**	प्रति कि.ग्रा.	
11	करेला	प्रति कि.ग्रा.	
12	परवल	प्रति कि.ग्रा.	
13	हरा धनिया	प्रति नग	
14	हरी मिर्च	प्रति कि.ग्रा.	
15	शिमला मिर्च	प्रति कि.ग्रा.	
16	फूल गोभी	प्रति कि.ग्रा.	
17	पत्तागोभी	प्रति कि.ग्रा.	
18	मूली	प्रति कि.ग्रा.	
19	गाजर	प्रति कि.ग्रा.	
20	खीरा	प्रति कि.ग्रा.	
21	अरबी	प्रति कि.ग्रा.	
22	अदरक	प्रति कि.ग्रा.	
23	लहसुन	प्रति कि.ग्रा.	
24	नीबू	प्रति कि.ग्रा.	
25	पुदीना	प्रति नग	
26	गडेरी	प्रति कि.ग्रा.	
27	हरा प्याज	प्रति कि.ग्रा.	
28	चुकन्दर	प्रति कि.ग्रा.	
29	तुरई	प्रति कि.ग्रा.	
हरी सब्जियॉ			

30	पालक,	प्रति नग	
31	लाई,	प्रति नग	
32	मेथी,	प्रति नग	
फल			
33	सेब	प्रति कि.ग्रा.	
34	केला	प्रति 12 नग	
35	अनार	प्रति कि.ग्रा.	
36	सन्तरा	प्रति कि.ग्रा.	
37	पपीता	प्रति कि.ग्रा.	
38	अंगूर	प्रति कि.ग्रा.	
39	किन्नू	प्रति कि.ग्रा.	
40	मौसमी	प्रति कि.ग्रा.	
41	तरबूज	प्रति कि.ग्रा.	
42	खरबूजा	प्रति कि.ग्रा.	
अन्य			
43	दही –आंचल	प्रति कि.ग्रा.	
44	दूध –आंचल	प्रति लीटर	
45	अमूल मक्खन	प्रति कि.ग्रा.	
46	पनीर –आंचल	प्रति कि.ग्रा.	
47	छॉछ– आंचल	प्रति 250 एम0एल	
48	ब्रैड जम्बो	जम्बो	
49	ब्रैड ब्रिटेनिया	500 ग्राम	
50	अण्डे	प्रति नग	
51	मटन	प्रति कि.ग्रा.	
52	फिश	प्रति कि.ग्रा.	
53	चिकन	प्रति कि.ग्रा.	